न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –140/2021

दायर दिनांक –21.12.2021

निर्णय दिनांक – 20.05.2022

जीसीएमएस नं0 –2021/241

प्रार्थीगण बनाम अप्रार्थी

1. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री नोरतमल
2. श्री कमल कुमार पुत्र श्री नोरतमल
3. श्री दिनेश पुत्र श्री नोरतमल
4. श्रीमती नोरती देवी पत्नी श्री नोरतमल
5. श्रीमतीसुशीला पुत्री श्री सोहनलाल
6. श्रीमती सीता देवी पुत्री श्री सोहनलाल
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासी नांद तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति–1. श्री अर्जुनसिंह राठौड, अधि0, प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध इस आशय से प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी खसरा नं0 545 रकबा 0.78 है0, कुल किता 1 कुल रकबा 0.78 है0 पर काश्त के लिये जाने हेतु प्रार्थीगण के पास वर्तमान में कोई रिकार्डेड रास्ता/मार्ग आदि मौजूद नहीं है। आवागमन व कृषि कार्य करने के लिए उपरोक्त ... खसरा नम्बरान हेतु करीबन 20 फीट चौड़ा नया रास्ता चाहने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukharam Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:44 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना–पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार, पुष्कर) द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

20.5.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार पुष्कर द्वारा पत्र क्रमांक/फॉलोअप केम्प नांद/कोर्ट/1009 दिनांक 18.04.2022 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजी खसरा नं0 545 रकबा 0.78 है0 पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगणों द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम है और इसमें किसी भी प्रकार से कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो रहा है तथा इसकी नितांत आवश्यकता है। यह केवल जोत के लिए सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं बल्कि सार्वजनिक रास्ते के रूप में रहेगी। प्रस्तावित रास्ता ग्राम नांद के खसरा नं0 576 सिवायचक भूमि में से चाहा गया है जो कि रास्ते से लगती हुई है। अतः प्रार्थीगणों के अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थीगणों से राशि जमा कराकर प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है।

खसरा नं0	रकबा (है0)	खातेदार का विवरण	प्रस्तावित रकबा (वर्गमीटर)	डी.एल.सी दर से दुगुना गणना अनुसार कुल राशि (रूपया)
576	2.30	सिवायचक भूमि	88 × 6 = 528 वर्गमीटर	रकबा 0.0528 × 11,40,138 × 2 = 1,20,398 /−

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस का मनन व अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि यह रास्ता अत्यांतिक आवश्यकता का है तथा यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नहीं है साथ ही प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक साधन का अभाव होकर यह निकटतम रास्ता है जिसमें अप्रार्थीगण की कृषि योग्य भूमि का न्यूनतम क्षय कारित होगा। अतः प्रार्थीगण की कृषि आराजी भूमि के खसरा नंबर 545 रकबा 0.78 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.78 है0 के लिए आवागमन हेतु लघुतम/निकटतम मार्ग चौडाई 20 फीट खसरा नम्बर 576 (सिवायचक) में से देना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है । इस हेतु तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थीगणों से वसूल की जाकर अप्रार्थी को वितरित की जावें एवं राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार सार्वजनिक रास्ते/मार्ग का अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें।

20.5.22

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:44 IST
Reason: SelfAttested

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि हाल राजस्व ग्राम नांद तहसील पुष्कर की आधार नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में, खसरा नम्बर 576 रकबा 2.30 है0 के प्रभावित रकबे को बिलानाम सरकार किस्म गै0मु0रास्ता (चौडाई 6 मीटर) दर्ज रिकॉर्ड किया जावें एवं राजस्व नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम की जावें (संलग्न नक्शे को निर्णय का भाग समझा जावें)। आदेशानुसार राशि प्रार्थीगण से वसूल की जाकर अप्रार्थी को वितरित की जावें।

खसरा नं0	रकबा (है0)	खातेदार का विवरण	प्रस्तावित रकबा (वर्गमीटर)	डी.एल.सी दर से दुगुना गणना अनुसार कुल राशि (रूपया)
576	2.30	सिवायचक भूमि	88 × 6 = 528 वर्गमीटर	रकबा 0.0528 × 11,40,138 × 2 = 1,20,398 /–
प्रार्थीगण द्वारा जमा करवाई जाने वाली कुल राशि				1,20,398 /–

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.05.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, पुष्कर (अजमेर)

20.5.22

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 11:13:44 IST
Reason: SelfAttested